न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1184/2026

अभिषेक कुमार व अन्य बनाम् बिहार सरकार

[बड़हरिया थाना कांड संख्या–161/2026]

आदेश

28.07.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अभिषेक कुमार** एवं **2. रोहित कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1184/2026, बड़हरिया थाना कांड संख्या–161/2026, अंतर्गत धारा–126(2),115(2),118(1),303(2),351(3),352,3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार मांझी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अनुप कुमार सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि सूचक के पड़ोसी रोहित कुमार, अभिषेक कुमार, प्रशान्त कुमार के द्वारा दिनांक 11.04.2026 को सुबह करीब 08:30 बजे जब सूचक अपने घर से ठिकेदार को रूपया देने जा रहा था, उसी समय पहले से घात लगाए उक्त तीनों व्यक्ति अपने घर के समीप घेर लिया और सूचक का रूपया छीनने लगा जब सूचक रूपया देने से इंकार किया तो अपने हाथ में देशी कट्टा लिए रोहित कुमार सूचक के सर पर कट्टा के बट से मारे जब तक सूचक संभलता तब तक अभिषेक कुमार अपने हाथ में लिए चाकू से सूचक के गर्दन पर जान मारने के नियत से प्रहार किए तो सूचक अपने बचाव के लिए अपना सर घुमा लिए तो उनका चाकू बाए बगल सीने में लगी, उसके बाद वो चाकू से फिर दोबारा प्रहार किये जो सूचक के मुख पर हल्का लगा, इसी बीच अपने हाथ में लिए लोहे के रड से सूचक के सिर पर जान मारने के नियत से प्रहार किए, जिससे सूचक के सिर पर दो–तीन जगह फूट गया जब सूचक अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास खेतों में गेहूँ काट रहे ग्रामीण लोग दौड़कर आए तो बीच–बचाव किए, उसी समय अभिषेक मांझी और प्रशान्त कुमार दोनों सूचक के मोटरसाईकिल को तोड़–फोड़ कर और सूचक के गले से सोने का चैन प्रशान्त चोरी के नियत से तोड़ कर लेके भाग गए तब सूचक बड़हरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र में आकर अपना ईलाज कराकर एक लिखित आवेदन थाना में दिया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि प्रस्तुत मामला सूचक रामाकान्त मांझी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण साफ–सुथरा छवि के है और प्रस्तुत मामले का पलटा वाद बड़हरिया थाना कांड सं0–33/2026 है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे इस मुकदमा में दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है तथा कोई घटना घटित नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाया गया सम्पूर्ण आरोप काल्पनिक, निराधार, मनगढ़न्त और झूठा है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अत्यधिक असंभव और निराधार है। आवेदकगण के भागने तथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1184/2026

अभिषेक कुमार व अन्य बनाम् बिहार सरकार

[बड़हरिया थाना कांड संख्या–161/2026]

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी बड़हरिया थाना कांड संख्या–161/2026, धारा–126(2),115(2),118(1),303(2),351(3),352,3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी की कंडिका सं0–02 वादी के पुनः बयान से संबंधित है। कांड दैनिकी की कंडिका सं0–08, 09 एवं 10 साक्षियों का बयान अंकित है तथा कांड दैनिकी की कंडिका सं0–49 एवं 50 में स्वतंत्र साक्षियों के बयान से संबंधित है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कंडिका–23 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें प्रस्तुत मामले में धारा 126(2), 115(2),118(2),324(4),351(2),352,3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है एवं कांड दैनिकी की कंडिका सं0–24 के अनुसार धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस विशेष दूत के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका सं0–29 के अनुसार नामजद अभियुक्तों को धारा 35(1) बी.एन.एस.एस. के तहत बंध पत्र पर मुक्त किये जाने की बात उल्लेखित है। कांड दैनिकी की कंडिका सं0–61 में जख्मी रामाकान्त मांझी के जख्म प्रतिवेदन से संबंधित है जिसमें उक्त जख्मी के जख्म की प्रकृति को साधारण बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या–27 में अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास से संबधित है जिसके अनुसार अभियुक्तगण/आवेदकगण के खिलाफ अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. अभिषेक कुमार** एवं **2. रोहित कुमार** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण/अभियुक्तगण का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदकगण समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदकगण समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं और विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदकगण/अभियुक्तगण के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

लेखापित

ह0/–

(राजेश कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्,

सिवान।

दिनांक 28.07.2026

Date of Judgement/order	28-07-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	28-07-2026
Date of Uploading	01-08-2026
Uploaded by	Chandan Kumar